



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 14, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक एफ ए -3/33/2017/1/पांच(46): मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33/2017/1/ पांच (42) दिनांक 05-08-2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची II - 6% में,-

(i) क्रम संख्या 80 कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लेक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी एवं दिनांक 21 सितम्बर, 2025 तक प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (46), दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No. F A 3-33/2017/1/V(46) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-33/2017/1/V(42)-2017 dated 29.06.2017 namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule II - 6%, -

(i) S. No. 80AA and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) S. No. 171A and the entries relating thereto shall be omitted;

B. in Schedule III - 9%, after S. No. 163A and entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)
"163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers".

2. This notification shall be deemed to come into force from 1st day of January, 2020 and shall remain effective till 21st day of September, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.